

प्रेषक,

पी०के०पराशरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 153 /X-4-15/1(74)/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय: जनपद-पिथौरागढ़ में नाघर-कुमल्ला से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819, हे० सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर पानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26257/FP/UK/ROAD/8930/2014 दिनांक 20 मार्च, 2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ में नाघर-कुमल्ला से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819, हे० सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर पानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बहनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सखम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेख सं०-एफ०सी०-25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 मूल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 मूल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्यत स्वीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिवरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी०के० पात्री)
अपर सचिव।

संख्या: 153 (1)/X-4-15/1(74)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिरासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०आई०, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NAC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमन सिंह)
उप सचिव।